प्रेषक, संख्या-2395/22-4-2009-104(ब)/08

सत्य प्रकाश पंखा,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उ0प्र0 लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 लखनऊः दिनांक- 18 जनवरी, 2010

विषयः- वित्तीय वर्ष 2009-10 में गृह विभाग (कारागार) के अनुदान संख्या-25 मुख्य लेखाशीर्षक-2052-आयोजनेत्तर-सचिवालय सामान्य सेवाएं-800-अन्य व्यय-03-अवशेषों का भुगतान के मानक मद 01-वेतन में वर्तमान में उपलब्ध तात्कालिक बचतों से लघु शीर्ष 101-03-समस्त कारागार के मानक मद 42-अन्य व्यय में रु0-1.80 करोड़ (रूपये एक करोड़ अस्सी लाख मात्र) की अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था हेतु पुनर्विनियोग की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महानिरीक्षक कारागार के पत्र संख्या-35341/बजट-09-10 (पुनर्विनियोग) दिनांक-24 दिसम्बर, 2009 में किए गए प्रस्ताव के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल चालू वित्तीय वर्ष 2009-10 में गृह विभाग (कारागार) के अनुदान संख्या-25 के मुख्य लेखाशीर्षक-2052-आयोजनेत्तर-सामान्य सेवाएं-800-अन्य व्यय- 03-अवशेषों का भुगतान के मानक मद-01-वेतन में वर्तमान में उपलब्ध तात्कालिक बचतों से लेखाशीर्षक 2056 के लघुशीर्ष 101-03 समस्त कारागार के मानक मद 42-अन्य व्यय में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा निर्दिष्ट मुआवजों के भुगतान एवं बन्दियों के प्रयोगार्थ वस्त्र आदि तथा क्रय किए गए कम्बलों के भुगतान आदि के लिये पर्याप्त प्रावधान उपलब्ध न होने के कारण रु0-1,80,00,000.00 (रूपये-एक करोड़ अस्सी लाख मात्र) के पुनर्विनियोग की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2009-10 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-25 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक "2056-101-03 समस्त कारागार के मानक मद 42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा एवं अनुदान संख्या-25 के अन्तर्गत राजस्व लेखा शीर्षक "2052 आयोजनेत्तर-सामान्य सेवाएं-800-अन्य व्यय-03-अवशेषों का भुगतान के मानक मद-01-वेतन" में होने वाली संभावित बचतों से पुनर्विनियोग कर वहन किया जायेगा।

3- उक्त अतिरिक्त धनराशि के पुनर्विनियोग किये जाने की स्वीकृति इस शर्त के अधीन प्रदान की जा रही है कि महानिरीक्षक, कारागार द्वारा व्ययं से पूर्व वास्तविक आवश्यकता का आकलन कर लिया जायेगा और धनराशि का उपयोग प्रक्रिया और समस्त संबंधित नियमों का पूर्ण अनुपालन एवं यथा आवश्यक सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करके ही किया जायेगा।

PTO

4- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या ई-12-107/दस-दिनांक-15 जनवरी,2010 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,

(सत्य प्रकाश पंखा)
अनु सचिव।

संख्या-2395(1)/22-4-2009-तद् दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/आडिट प्रथम,उ.प्र.,इलाहाबाद।
2- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
4- वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग।
5- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ।
6- अनु सचिव/समीक्षा अधिकारी/गार्ड फाइल

आज्ञा से,

(सत्य प्रकाश पंखा)
अनु सचिव।